



5

भाजपा आरक्षण को न हटाएगी, न हटाने देगी : अमित शाह

6 सदैव अनुकरणीय रहेंगे भगवान् श्रीराम के आदर्श

7 सिद्धार्थ से मिलने से पहले मैंने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा था : विद्या बालन

फर्स्ट टेक

कृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष की बहस थुक्का, अगली सुनवाई 22 को

प्रयागराज/भाषा। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि और शाही इंद्राचार विवाद मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मंगलवार को हिंदू पक्ष ने अपनी बहस शुरू की और सुनवाई के बाद अदालत ने अगली तिथि 22 अप्रैल 2024 तय की। इस मामले की सुनवाई न्यायालय में मंगलवार जैन द्वारा की जा रही है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शक्तर जैन ने मंगलवार को कहा कि यह बाद पोषणीय है और पूजा रथम् अधिनियम एवं वरका अधिनियम के संबंध में अर्जी पतों के साथों से ही निर्धारित हो सकती है। जैन ने कहा कि महज यह करने से कि वह एक बांधव है, वरका अधिनियम लागू नहीं होगा। संपत्ति का धार्मिक वर्त्र महज ढांचे के व्यवस्थ कर बदला नहीं जा सकता, यह देखना जरूरी है कि क्या कथित वक्त विलेख (डीए) वैध है या नहीं ये नियी वीजें मुकदमे में देखी जानी चाहिए और मौजूदा बाद पोषणीय है। समय सीमा की भीतर दाखिल किया गया है। वर्ष 1968 का कथित संज्ञोत्तम वारी के सङ्गम में 2020 में आया और संज्ञान में आने के तीव्र साल के भीतर यह बाद दायर किया गया है। इसके बाद स्पष्ट है कि अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा है तो देखता आने अगले मित्र के जरिए आपे आ सकते हैं और बाद दायर कर सकते हैं और ऐसे में समय सीमा का सवाल ही नहीं उठता।

शीर्ष अदालत ने रामदेव, बालकृष्ण को सार्वजनिक मार्फी मांगने की अनुमति दी

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने योग गुरु रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण को एलोपेथी को नीचा दिखाने के किसी भी प्रयास के खिलाफ मानवाओं को चेतावनी दी और उन्हें पंतजनता द्वारा दिलेकल के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन मामले में अवमनना कार्यवाही में एक सहाह के भीतर सार्वजनिक मार्फी मांगने और प्रश्नाताप दिखाने के अनुमति दी। शीर्ष अदालत ने हातांकि, यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह अभी उन्हें इन वर्ष में राहत नहीं देने जा रही है। शीर्ष अदालत 2022 में डिंडियां मेडिकल एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रखी है, जिसमें कांडिटों का आधुनिक पद्धतियों के खिलाफ एक दुष्प्रभाव अभियान चलाने का आरोप लगाया गया है। रामदेव और बालकृष्ण दोनों तरफ स्पष्ट कर दिया कि वह अभी उन्हें इन वर्ष में राहत नहीं देने जा रही है। शीर्ष अदालत को निर्वहन नहीं देने जा रही है। शीर्ष अदालत 2022 में डिंडियां मेडिकल एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रखी है, जिसमें कांडिटों का आधुनिक पद्धतियों के खिलाफ एक दुष्प्रभाव अभियान चलाने का आरोप लगाया गया है। रामदेव और बालकृष्ण दोनों तरफ स्पष्ट कर दिया कि वह अभी उन्हें इन वर्ष में राहत नहीं देने जा रही है। शीर्ष अदालत को निर्वहन नहीं देने जा रही है।

जैन ने कहा कि वह अभी उन्हें इन वर्ष में राहत नहीं देने जा रही है। शीर्ष अदालत को निर्वहन नहीं देने जा रही है।

जैन ने कहा कि वह अभी उन्हें इन वर्ष में राहत नहीं देने जा रही है। शीर्ष अदालत को निर्वहन नहीं देने जा रही है।

जैन ने कहा कि वह अभी उन्हें इन वर्ष में राहत नहीं देने जा रही है। शीर्ष अदालत को निर्वहन नहीं देने जा रही है।

जैन ने कहा कि वह अभी उन्हें इन वर्ष में राहत नहीं देने जा रही है। शीर्ष अदालत को निर्वहन नहीं देने जा रही है।

जैन ने कहा कि वह अभी उन्हें इन वर्ष में राहत नहीं देने जा रही है। शीर्ष अदालत को निर्वहन नहीं देने जा रही है।

जैन ने कहा कि वह अभी उन्हें इन वर्ष में राहत नहीं देने जा रही है। शीर्ष अदालत को निर्वहन नहीं देने जा रही है।

जैन ने कहा कि वह अभी उन्हें इन वर्ष में राहत नहीं देने जा रही है। शीर्ष अदालत को निर्वहन नहीं देने जा रही है।

जैन ने कहा कि वह अभी उन्हें इन वर्ष में राहत नहीं देने जा रही है। शीर्ष अदालत को निर्वहन नहीं देने जा रही है।

जैन ने कहा कि वह अभी उन्हें इन वर्ष में राहत नहीं देने जा रही है। शीर्ष अदालत को निर्वहन नहीं देने जा रही है।

जैन ने कहा कि वह अभी उन्हें इन वर्ष में राहत नहीं देने जा रही है। शीर्ष अदालत को निर्वहन नहीं देने जा रही है।

जैन ने कहा कि वह अभी उन्हें इन वर्ष में राहत नहीं देने जा रही है। शीर्ष अदालत को निर्वहन नहीं देने जा रही है।

जैन ने कहा कि वह अभी उन्हें इन वर्ष में राहत नहीं देने जा रही है। शीर्ष अदालत को निर्वहन नहीं देने जा रही है।

जैन ने कहा कि वह अभी उन्हें इन वर्ष में राहत नहीं देने जा रही है। शीर्ष अदालत को निर्वहन नहीं देने जा रही है।

जैन ने कहा कि वह अभी उन्हें इन वर्ष में राहत नहीं देने जा रही है। शीर्ष अदालत को निर्वहन नहीं देने जा रही है।

जैन ने कहा कि वह अभी उन्हें इन वर्ष में राहत नहीं देने जा रही है। शीर्ष अदालत को निर्वहन नहीं देने जा रही है।

जैन ने कहा कि वह अभी उन्हें इन वर्ष में राहत नहीं देने जा रही है। शीर्ष अदालत को निर्वहन नहीं देने जा रही है।

जैन ने कहा कि वह अभी उन्हें इन वर्ष में राहत नहीं देने जा रही है। शीर्ष अदालत को निर्वहन नहीं देने जा रही है।

जैन ने कहा कि वह अभी उन्हें इन वर्ष में राहत नहीं देने जा रही है। शीर्ष अदालत को निर्वहन नहीं देने जा रही है।

जैन ने कहा कि वह अभी उन्हें इन वर्ष में राहत नहीं देने जा रही है। शीर्ष अदालत को निर्वहन नहीं देने जा रही है।

जैन ने कहा कि वह अभी उन्हें इन वर्ष में राहत नहीं देने जा रही है। शीर्ष अदालत को निर्वहन नहीं देने जा रही है।

जैन ने कहा कि वह अभी उन्हें इन वर्ष में राहत नहीं देने जा रही है। शीर्ष अदालत को निर्वहन नहीं देने जा रही है।

जैन ने कहा कि वह अभी उन्हें इन वर्ष में राहत नहीं देने जा रही है। शीर्ष अदालत को निर्वहन नहीं देने जा रही है।

जैन ने कहा कि वह अभी उन्हें इन वर्ष में राहत नहीं देने जा रही है। शीर्ष अदालत को निर्वहन नहीं देने जा रही है।

जैन ने कहा कि वह अभी उन्हें इन वर्ष में राहत नहीं देने जा रही है। शीर्ष अदालत को निर्वहन नहीं देने जा रही है।

जैन ने कहा कि वह अभी उन्हें इन वर्ष में राहत नहीं देने जा रही है। शीर्ष अदालत को निर्वहन नहीं देने जा रही है।

जैन ने कहा कि वह अभी उन्हें इन वर्ष में राहत नहीं देने जा रही है। शीर्ष अदालत को निर्वहन नहीं देने जा रही है।

जैन ने कहा कि वह अभी उन्हें इन वर्ष में राहत नहीं देने जा रही है। शीर्ष अदालत को निर्वहन नहीं देने जा रही है।

जैन ने कहा कि वह अभी उन्हें इन वर्ष में राहत नहीं देने जा रही है। शीर्ष अदालत को निर्वहन नहीं देने जा रही है।

जैन ने कहा कि वह अभी उन्हें इन वर्ष में राहत नहीं देने जा रही है। शीर्ष अदालत को निर्वहन नहीं देने जा रही है।

जैन ने कहा कि वह अभी उन्हें इन वर्ष में राहत नहीं देने जा रही है। शीर्ष अदालत को निर्वहन नहीं देने जा रही है।

जैन ने कहा कि वह अभी उन्हें इन वर्ष में राहत नहीं देने जा रही है। शीर्ष अदालत को निर्वहन नहीं देने जा रही है।

जैन ने कहा कि वह अभी उन्हें इन वर्ष में राहत नहीं देने जा रही है। शीर्ष अदालत को निर्वहन नहीं देने जा रही है।

जैन ने कहा कि वह अभी उन्हें इन वर्ष में राहत नहीं देने जा रही है। शीर्ष अदालत को निर्वहन नहीं देने जा रही है।

जैन ने कहा कि वह अभी उन्हें इन वर्ष में राहत नहीं देने जा रही है। शीर्ष अदालत को निर्वहन नहीं देने जा रही है।

जैन ने कहा कि वह अभी उन्हें इन वर्ष में राहत नहीं देने जा रही है। शीर्ष अदालत को निर्वहन नहीं देने जा रही है।

